भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 780
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन की कमी

780. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केरल राज्य में, विशेष रूप से निजी अस्पतालों में हेपेटाइटिस-बी के टीके की भारी कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;
(ख) क्या नवजात शिशुओं और नियमित रूप से डायलिसिस कराने वाले रोगियों में संक्रमण का अत्यधिक जोखिम होता है और क्या इस जोखिम को केवल टीकाकरण के माध्यम से कम किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कई अन्य राज्यों के अस्पतालों में भी कुछ समय से ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है; और
(घ) सरकार द्वारा केरल राज्य के साथ उक्त टीके की कमी वाले राज्यों में भी हेपेटाइटिस-बी का टीका उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क), (ग) और (घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग के अनुसार व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है।

(ख): व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जन्म के समय नवजात शिशुओं को दी जाती है ताकि माता से बच्चे को हेपेटाइटिस बी के संचरण को रोका जा सके। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसीस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) दिशा-निर्देश क्रॉस-संचरण और हेपेटाइटिस बी के संचरण को रोकने के लिए एक सुव्यवस्थित संचरण नियंत्रण उपाय प्रदान करते हैं।

*****